

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013/...../राँची/दिनांक.....

प्रेषक:

ई० सुबोध कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि.)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्डू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: सिंचाई यंत्रिक प्रमण्डल, राँची के क्षेत्राधीन रैसा जलाशय योजना के 2 (दो) अदद Outlet gates उत्तोलन प्रणाली, प्लेट फार्म, Trash rack का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 83,28,750.00 (तीरासी लाख अठाईस हजार सात सौ पचास) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति

- 2 सिंचाई यंत्रिक प्रमण्डल, राँची के क्षेत्राधीन रैसा जलाशय योजना के 2 (दो) अदद Outlet gates उत्तोलन प्रणाली, प्लेट फार्म, Trash rack का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 83,28,750.00 (तीरासी लाख अठाईस हजार सात सौ पचास) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3 मुख्य अभियंता (यंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन सिंचाई यंत्रिक प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत रैसा जलाशय योजना के 2 (दो) अदद Outlet gates उत्तोलन प्रणाली, प्लेट फार्म, Trash rack का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य कराया जाना है।
- 4 सिंचाई यंत्रिक प्रमण्डल, राँची के क्षेत्राधीन रैसा जलाशय योजना के 2 (दो) अदद Outlet gates के निर्माण के क्रम में एक-एक Service एवं Emergency gate का प्रावधान है। इसके साथ ही उत्तोलन प्रणाली, उत्तोलन प्लेटफार्म एवं Gates के Hume pipe के आगे Trash rack के निर्माण एवं अधिष्ठापन का प्रावधान किया गया है।
- 5 इस कार्य पर होनेवाला व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796 जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना उपशीर्ष-72-मध्यम सिंचाई परियोजना ए०आई०बी०पी० (चालू योजना) विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45 मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रावधानित रु० 1000.00 लाख के अधीन विकलनीय होगा।
- 6 इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यंत्रिक प्रमण्डल, राँची होंगे।

- 7 इस कार्य का समावेश वर्ष 2013-14, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
- 8 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2013-14, में प्रारंभ कर वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया जायेगा।
- 9 इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 10 प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।
- 11 इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 12 इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।
- 13 राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
- 14 झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता के किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

हप-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013// राँची/ दिनांक.....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हप-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013// राँची/ दिनांक.....

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हप-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013// राँची/ दिनांक.....

प्रतिलिपि: सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1 जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन अंचल-3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हप-

हप-

हप-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013//राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

६०/-
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013//राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदया के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

६०/-
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक 3/पी. एम. सी. (प्र०स्वी०)-92/ 2013//राँची/दिनांक..... 22-01-2014

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

६०/-
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)